राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र.स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	185/2022	श्रीमती निरंजना दवे	1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाडा। 3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
2.	198/2023	कमलेश सागवाडिया	
3.	199/2023	उषा शाह	
4.	212/2023	श्रीमती चन्द्रकान्ता डोसी	
5.	1150/2022	श्रीमती निर्मला देवी उपाध्याय	1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाडा। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा। 5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
6.	1151/2022	श्रीमती सीमा शाह	1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाडा।
7.	1152/2022	श्रीमती हरसिला त्रिवेदी	

आदेश की दिनांक : 14.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थीगण की ओर से : **श्री पी. आर. मेहता, अधिवक्ता**
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अधिवक्ता**

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से तथा इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान हाने से न्यायहित में अपील संख्या 185/2022 श्रीमती निरंजना दवे की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त सारणी में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सचिव जिला स्थापना समिति जिला परिषद बांसवाडा के आदेश दिनांक 01.07.1985 द्वारा अध्यापक

ग्रेड–।।। के पद पर हुई थी और उसने दिनांक 15.07.1985 को कार्यभर ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति से सेवानिवृति तिथि 29.02.2016 तक निरंतर इस पद कार्य किया। अपीलार्थी की नियुक्ति के समय, वह राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद नियम 1959 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से पात्र थी (इसके बाद संक्षेप में नियम 1959 के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। नियम 1959 से संलग्न अनुसूचि के तहत नियम 11 के तहत प्रशिक्षित बीएड/बीएसटीसी योग्यता में छूट दी जाकर आदिवासी जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं मरूस्थलीय जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर में प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अप्रशिक्षित शिक्षक जो मैट्रिक योग्यता रखते हैं, उन्हें प्रशिक्षित मानते हुए शिक्षक ग्रेड–।।। के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूरी होने पर अपीलार्थी की सेवाओं को नियम 1959 के नियम 27 के प्रावधान के तहत आदेश दिनांक 26.03.1992 (अनुलग्नक–2) द्वारा दिनांक 15.05.1987 से स्थाई (Confirm) किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित थी एवं नियम 1959 के प्रावधानानुसार की गई। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान/ एसीपी का लाभ बी.एड उत्तीर्ण करने के बाद उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर परीक्षा तिथि 14.05.1991 से दिया गया और 10 वर्ष की सेवा दिनांक 15.07.1985 के स्थान पर दिनांक 15.07.1994 से गणना करते हुए दिनांक 14.05.2001 को मानी गई (अनुलग्नक–3)। इसी तरह अपीलार्थी को नियुक्ति की प्रारम्भिक तिथि से सेवालाभ न दिया जाकर बी.एड उत्तीर्ण करने की तिथि 14.05.1991 से उसकी 18 वर्ष की सेवा को आधार मानते हुए द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को बी.एड. उत्तीर्ण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद अर्थात 14.05.1992 को वार्षिक ग्रेड वृद्धि प्रदान करके उसका वेतन निर्धारित किया (अनुलग्नक–5)। जबकि उसकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने एवं नियमितीकरण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देय है। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित, संस्थाई एवं नियम 1959 के प्रावधानानुसार की गयी थी। नियम 1959 में महिला अभ्यर्थी को प्रशिक्षित प्रमाण पत्र रखने की छूट देने के लिए विशेष प्रावधान थे। यद्यपि अपीलार्थी ने दिनांक 14.05.1991 को बी.एड की योग्यता प्राप्त कर ली थी (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी द्वारा धारित हायर सेकेण्डरी की योग्यता नियम 1959 के नियम 11 एवं नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार

सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए समकक्ष एवं आवश्यक योग्यता है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से उसके

सेवाकाल की गणना करके 9, 18 और 27 वर्षों की सेवा पर देय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया है। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.01.92 (अनुलग्नक–7) द्वारा 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से अपनी सेवाओं की गणना करके चयनित वेतनमान/एसीपी के लिए हकदार है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रशिक्षित ग्रेड देने से पहले अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा की गई सेवाओं को चयनित वेतनमान देने के लिए गणना की जायेगी। अपीलार्थी का नियमित चयन किया गया। इसलिए उनकी नियुक्ति के पहले दस साल और उसके बाद दस साल तक उनके द्वारा की गई सेवा में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, दिनांक 25.01.1992 का आदेश किसी भी तरह से केवल उन व्यक्तियों को चयनित वेतनमान देने तक प्रतिबंधित नहीं करता है, जो पद के लिए योग्यता रखते हैं। अपीलार्थी भी नियम 1959 के नियम 11 के अनुसार नियुक्ति हेतु पूरी तरह से योग्य थी और अनुसूची– । से जनजाति जिला बांसवाड़ा के लिए शिक्षक के पद हेतु निर्धारित योग्यता के अनुसार वह पूर्णतः योग्य थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनामा चाको प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 की व्याख्या कर प्रतिपादित किया है कि चयनित वेतनमान प्रदान करने में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में की गई सम्पूर्ण सेवा को गिना जायेगा। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके पश्चात राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 26.06.2001 जारी किया है जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ पाने के हकदार हैं, परंतु जिन मामलों में न्यायालय/अधिकरण द्वारा निर्णय प्रदान नहीं किया गया है, उनमें यह लाभ देय नहीं होगा (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी द्वारा सेवाओं को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से गिनकर चयनित वेतनमान का लाभ देने हेतु जरिये अधिवक्ता न्याय की मांग करते हुए डिमांड नोटिस प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–9), परन्तु विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिकरण ने अनेक समान प्रकरणों में प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देने हेतु निर्देशित किया है। प्रत्यर्थी

विभाग ने कुमुदनी रावत एवं नीता जैन आदि के प्रकरण में पारित फैसले को वित्तीय मंजूरी देकर लागू किया है। इसलिए अपीलार्थी भी इसी तरह की समान

राहत की हकदार है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 के अनुसार वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ रोका नहीं जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2011 कुमुदनी रावत एवं अन्य में पारित अधिकरण के आदेश की प्रति तथा जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाडा द्वारा अनुपालना आदेश दिनांक 08.11.2019 एवं अनुपालन आदेश दिनांक 31.01.2022 नीता जैन बनाम राज्य की प्रति क्रमशः अनुलग्नक 10, 11 एवं 12 पर प्रस्तुत की गई है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उसकी नियुक्ति की प्रारम्भिक तिथि से 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए उसे सभी परिणामी लाभ दिए जाये और अपीलार्थी को बकाया राशि का भुगतान अपीलार्थी को देय होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया जावे। अपीलार्थी को नियम 1959 के नियम 11 के अनुसार पात्र माने जाने के आधार पर आरएसआर 1951 के नियम 29 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जावे। प्रस्तुत अपील अधिकरण द्वारा कुमुदनी रावत के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 से पूरी तरह से समान (Squarely Covered) होने के आधार पर अपील स्वीकार की जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में हुई। अपीलार्थी को 10 साल की सेवाओं का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। अपीलार्थी को उसके बी.एड. कोर्स पूरा होने पर दिनांक 10.10.2000 के आदेश द्वारा चयनित वेतनमान प्रदान किया गया। इसलिए अपीलार्थी को सेवा की गणना बी.एड योग्यता प्राप्त करने की तिथि से ही दी जा सकती है। अपीलार्थी का प्रकरण नियम 1959 के नियम 11 के अंतर्गत नहीं आता है और अपीलार्थी को अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से सेवा लाभ पहले ही दिया जा चुका है। आदेश दिनांक 14.08.2012 को प्रकरण के सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद जारी किया गया है। इसलिए अपीलार्थी और कोई लाभ पाने की हकदार नहीं है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.06.2001 को गलत साबित करने में विफल रही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रस्तुत अपील में निहित प्रश्न यह है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ कब से दिया जाए? जहां तक अपीलार्थी के प्रशिक्षित होने अथवा न होने

एवं इसका प्रभाव उनको देय चयनित वेतनमान पर होने का संबंध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार श्रीमती पुष्पलता थाड़ा एवं 41 अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य (डब्ल्यू. एल.सी. (राज.) 2001 (2) पृष्ठ–560) एवं अन्नमा चाकू बनाम सरकार एवं अन्य (उच्चतम न्यायालय) के मामलों में पारित निर्णयों एवं तदनुसार राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिनांक 26.06.2001 के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि 9. 18 व 27 वर्ष पर चयनित वेतनमान के मामलों में प्रशिक्षित होने अथवा न होने का कोई प्रभाव नहीं होगा। वर्तमान में चयनित वेतनमान देने हेतु कौनसी तिथि देखी जावे इसका निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या–3620/2009, 2848/2006 (राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के आधार पर किया जाना है। उक्त विनिश्चय के अनुसार यह देखते हुये कि सभी अपीलार्थी की नियुक्ति नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संबंधित पंचायत समिति में उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध की गई है तथा अपीलार्थी को नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त की गई एवं परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात स्थाईकरण किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति तिथि से उक्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णयानुसार ही वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देय किये जाने संबंधित आदेश दिनाक 18.11.2010 तथा 20.08.2010 को पारित किये गये है।

7. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि शिक्षक ग्रेड ।।। के पद के लिए योग्यता नियम 1959 के नियम 11 के तहत निर्धारित है कि सेवा की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए इन नियमों की अनुसूची में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता और अनुभव को संधारित करना होगा। नियम 1959 के नियम 11 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

"Rule 11 : Academic qualification and qualifying service:-

A recruit to the various categories of service must process the minimum educational qualification or technical qualificaiton and experience detailed in schedule to these Rules."

8- डूंगरपुर एवं बांसवाडा जनजाति जिलों एवं बाडमेर एवं जैसलमेर मरूस्थलीय जिलों में प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत योग्यता में छूट

देकर अप्रशिक्षित मैट्रिक एवं समकक्ष को पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया। नियम 1959 के संलग्न अनुसूची में किया गया प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"The minimum qualification for direct recruitment in respect of women candidates shall be Matric and STC, trained or any other qualification declared equivalent to Matric trained by the Education Department of Government of Rajasthan"

Provided that in case of non-availability of trained women candidated in Tribal Districts of Dungarpur and Banswara and Desert Districts of Barmer and Jaisalmer, the minimum qualification may be untrained Matric or equivalent."

स्पष्ट स्पष्ट है कि अपीलार्थी नियम 1959 के नियम 11 एवं संलग्न अनुसूची में जनजाति जिला बांसवाडा में शिक्षक ग्रेड ||| के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्णतः पात्र थी। इस दृष्टि से अपीलार्थी को अप्रशिक्षित या अपात्र मानकर उसको प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान से वंचित नहीं किया जा सकता है।

9. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2001 (अनुलग्नक–8) द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान प्राप्त करने के हकदार है। आदेश दिनांक 26.01.2001 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

''तृतीय श्रेणी के अध्यापक के पद पर न्यायालय/अधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेश को की अनुपालना में अप्रशिक्षित/ प्रशिक्षित अध्यापकों को 9 वर्ष, 18 वर्ष एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनाक से देय होगा। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की उक्त गणना केवल चयनित वेतनमान प्रदान करने के लिए की जावेगी। वरिष्ठता निर्धारण तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जिन मामलों में न्यायालय/अधिकरण द्वारा निर्णय प्रदान नहीं किया गया है, उनमें यह लाभ देय नहीं होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई डी संख्या 1327 दिनांक 215 2001 के अनुरूप जारी किये जा रहे है।''

10- इस अधिकरण द्वारा समय–समय पर समान प्रकृति के अनेक प्रकरणों में प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए हैं। चयनित वेतनमान के संबंध में माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 897/2002 नीता जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं 141 प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2012 एवं अपील संख्या 38/2021 मीनाक्षी आर

व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं 22 अन्य प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 13.09.2022 तथा अपील संख्या 1046/2002 श्रीमती कुमुदनी रावत बनाम राजस्थान

राज्य एवं 11 अन्य प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 में यह आदेशित किया है कि कर्मचारीगण चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इस प्रकार उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। उपर्युक्त विधिक स्थिति को देखते हुए साम्यता के सिद्धांत के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान पाने के अधिकारी है।

11. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि से 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे एवं तदनुसार वेतन स्थिरीकरण किया जावे तथा वार्षिक वेतन वृद्धि भी नियमानुसार स्वीकृत की जाकर भुगतान की कार्यवाही की जाये। अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने की दशा में उक्तानुसार कार्यवाही कर सेवानिवृत्ति परिलाभ भी संशोधित कर भुगतान किया जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने के 4 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

12. अपील अपीलार्थीगण उपर्युक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

13. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 185/2022 में एवं आदेश की फोटो प्रति शीर्षक तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

14. आदेश आज दिनांक 14.02.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य